

16/10/2024


न्यायालय जिला कलकत्ता, बंगाल-विहार
प्रकरण संख्या - 12/02/2023

उत्पान - सतीश कुमार वर्मा

वसाम

श्रीधरनाथ वर्मा

आज दिनांक पत्रावली पेश उरी वकील कपीमात्र
उपस्थित नहीं है। वकील कपीमात्र को क्र-2
आफने दिलादी गयी लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ
वकील कपीमात्र के उपस्थित नहीं होने से स्पष्ट है कि
कपीमात्र का उक्त कपीमात्र से कोई इच्छा नहीं है।
वकील कपीमात्र के उपस्थित नहीं होने के कारण
कपील-कपीमात्र कप्त-हापटी कप्त के-बी से कपी
की जारी है, कप्तकेका भी प्रमाणित प्रति तदन
कप्तकेत को तहत रिपोर्ट के वाकिफ लोडारिपारके
पत्रावली पेशाम गुमा वी वसाम से कप्तकीपकल
कप्त वकील हापिल पक रिपोर्ट की।


जिला कलकत्ता एवं विहार
न्यायालय बंगाल-विहार